न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 54/2012 **(76 एल.आर.एक्ट)**

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र श्री गंगासहाय जाति चमार निवासी ग्राम भजेड़ा तहसील व जिला अलवर राज0 ।
2. श्योराम पुत्र ननवा जाति चमार निवासी ग्राम भजेड़ा तहसील व जिला अलवर राज0 ।
3. हरसहाय पुत्र हरलाल जाति चमार निवासी ग्राम भजेड़ा तहसील व जिला अलवर राज0

..... अपीलांटान

बनाम

1. रामकिशोर पुत्र रामकिशन जाति राजपूत निवासी ग्राम भजेड़ा तहसील व जिला अलवर राज0 ।
2. रामशरण पुत्र रामकिशन जाति राजपूत निवासी ग्राम भजेड़ा तहसील व जिला अलवर राज0 ।
3. तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर अलवर राज0 ।

..... असल रेस्पोडेन्टान

4. पप्पूराम पुत्र श्री चेतराम जाति चमार निवासी ग्राम भजेड़ा तहसील व जिला अलवर राज0 ।

..... तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलांट ।
2. रेस्पो0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये ।

::: निर्णय :::

दिनांक :– 31.07.2018

यह अपील विद्वान अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दि0 28.09.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर अलवर के द्वारा जारी पट्टा सं0 18/20 दिनांक 25.08.1977 के विरूद्ध अपील पेश की जिसके आराजी ख0 नं0 साबिक 629 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम भजेड़ा तहसील अलवर के काबिज काश्तकार ननवा पुत्र धन्ना 1/2 भाग, हरपाल पुत्र नोप 1/4 भाग, जुम्मा पुत्र किशन

1/4 भाग के थे जिसकें इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में हो रहें हैं और काबिज होकर काश्त कर रहे हैं । आराजी ख0 नं0 साबिक 609 पर अपीलांट व तर0 रेस्पो0 का कब्जा काश्त चला आ रहा है । रामकिशन पुत्र मुलतानीराम राजपूत का कभी कब्जा नहीं रहा और ना ही कोई लेना देना है । रकबा 11 बिस्वा का इन्द्राज अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 के नाम हो रहा है परन्तु 2 बीघा का पट्टा रामकिशन के नाम जारी कर दिया जबकि आराजी पर वह कभी काबिज नहीं रहा । रामकिशन का स्वर्गवास हो गया है । ख0 नं0 609 मिन रकबा 11 बिस्वा के हाल ख0 नं0 158 रकबा 5 ऐयर, 159 रकबा 8 ऐयर कायम किये है जिनका इन्द्राज अपीलांट के नाम हो रहा है । आराजी ख0 नं0 609 रकबा 2 बीघा हाल ख0 नं0 152 रकबा 4 ऐयर, 153 रकबा 6 ऐयर, 160 रकबा 20 ऐयर; 161 रकबा 11 ऐयर, 166 रकबा 11 ऐयर का इन्द्राज गलत तौर से रामाबाई, दित्तू, रामकिशोर, रामशरण के नाम किया है जो गलत है । पट्टा जारी करने से पूर्व अपीलांट को तलब किया जाना चाहिए था व मौका देखना चाहिए था परन्तु तहत न्यायालय ने ऐसा न कर बाला–बाला पट्टा जारी कर दिया । अपीलांट अनुसूचित जाति के सदस्य हैं जिनकी आराजी कानूनन किसी अन्य के नाम यानि सवर्ण जाति के सदस्य के नाम नहीं हो सकती है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर पट्टा निरस्त किया जावें । अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी । रेस्पो0 को जरिये नोटिस व अखबार प्रकाशन कराने के उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं आये । तहत न्यायालय ने एकपक्षीय बहस सुनकर दि0 28.09.2012 को अपीलांट की अपील खारिज कर दी जिस निर्णय दिनांक 28.09.2012 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया लेकिन बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं आये । तहत अदालत की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस की शुरूआत करते हुए कहा कि दिनांक 25.08.1977 को सनद पट्टे के आदेश हुए हैं । ख0 नं0 609 रकबा 2 बीघा पर कभी भी रेस्पो0 का कब्जा नहीं रहा है । रामबाई बेवा रामकिशन को आवंटन किया है जबकि इसका कोई लेना देना नहीं है । अपीलांट का इस पर सम्वत् 2020 से ही कब्जा है जिसका रेकार्ड जमाबन्दी पेश की है । राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के आदेश दिनांक 22.02.2012 का अवलोकन कराया जिसमें निर्देश है कि मौका व रेकार्ड का निरीक्षण करके पुनः निर्णय करें । तहत न्यायालय ने ख0 नं0 609 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा पर अपीलांट का कब्जा नहीं माना है जबकि अपीलांट ने रेकार्ड नकल जमाबन्दी सम्वत् 2005, 2020 आदि से कब्जा 2 बीघा 11 बिस्वा पर है । सम्वत् 2005 से अपीलांट काबिज है । उक्त आराजी रेस्पो0 के नाम दर्ज होने पर अपीलांट ने अपील की है । सम्वत् 2046 की जमाबन्दी का अवलोकन कराया जिसमें ख0 नं0 629 मिन रकबा 11 बिस्वा ढहरी जमीन है जिसमें कई खातेदार दर्ज है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है और अपीलांट की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय का दि0 28.09.2012 का अवलोकन किया । अपीलीय न्यायालय में अपीलांट द्वारा जो रेकार्ड नकल किता 7 पेश किये गये हैं उनका अवलोकन किया गया जो

रेकार्ड अभी पेश किया है, उसकी नकलें पहले से ही पत्रावंली पर उपलब्ध है तथा तहत न्यायालय द्वारा जो निर्णय दि0 28.09.2012 पारित किया है, वह उक्त रेकार्ड का अवलोकन करने के बाद ही पुनः गुणावगुण पर किया है । अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व निर्णय से रेकार्ड की प्रतिलिपिया पेश की है । उनका भी ससम्मान अलवोकन करने पर पाया कि जमाबन्दी सम्वत् 2011–14 साबिक ख0 नं0 609 रकबा 2.11 बीघा खैराती खां वगैरा दर्ज है और कस्टोडियन के रूप में दर्ज है । विवादित आराजी पर अपीलांट के बुज़ुर्गान के साथ अन्य व्यक्ति भी काबिज काश्त रहे हैं । ननवा का रेकार्ड में कब्जे काश्त के रूप में अंकन नहीं पाया जाता है । ऐसा साबिक रेकार्ड से सिद्ध नहीं होता है कि सम्पूर्ण रकबे पर वादी/अपीलांट कब्जे काश्त में रहे हैं । बन्दोबस्त से पूर्व की एक भी जमाबन्दी ऐसी नहीं है जिसके आधर पर अपीलांट का कब्जा प्रमाणित हो । इसलिए तहत न्यायालय के निर्णय में न्यायालय कोई कमी नहीं पाता है और अपीलांट की अपील खारिज योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्धान अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दिनांक 28.09.2012 यथावत रखा जाता है । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31.7.18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर